

5वीं और 8वीं के रिजल्ट में भोपाल का प्रदर्शन खराब

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र ने बुधवार को कक्षा 5वीं और 8वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने वल्लभ भवन में एक कार्यक्रम के दौरान बटन दबाकर रिजल्ट घोषित किया। परीक्षा परिणामों में जहां नरसिंहपुर ने टॉप किया, वहीं राजधानी भोपाल का प्रदर्शन औसत रहा। 5वीं में भोपाल

95त परिणाम के साथ 34वें स्थान पर रहा, जबकि 8वीं में 94त के साथ 27वां स्थान मिला। हालांकि रैंकिंग में पीछे रहने के बावजूद भोपाल के छात्रों ने मेरिट में शानदार प्रदर्शन कर अपनी क्षमता साबित की है। शहर के कई छात्रों ने 95त से अधिक अंक हासिल किए हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि राजधानी में टॉपर्स की कमी नहीं, बल्कि ओवरऑल रिजल्ट

सुधारने की जरूरत है। कक्षा 5वीं में नरसिंहपुर 99.70त के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि भोपाल 95.07त के साथ 34वें स्थान पर रहा। वहीं कक्षा 8वीं में भोपाल 94.50त के साथ 27वें स्थान पर पहुंचा। इससे साफ है कि राजधानी का कुल परिणाम टॉप जिलों से 4 से 5 प्रतिशत पीछे है। रैंकिंग में पिछड़ने के बावजूद शहर के कई छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

परिणाम देखने की प्रक्रिया को इस बार बेहद आधुनिक और आसान बनाया गया है। छत्र और अभिभावक राज्य शिक्षा केंद्र के पोर्टल पर जाने के अलावा, विभाग द्वारा जारी रक्त कोड को स्कैन करके भी सीधे अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके अलावा, स्कूल के प्राचार्य भी पोर्टल के जरिए अपने पूरे संस्थान का विद्यार्थीवार प्रदर्शन चेक कर सकते।

आम सूचना/नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अलिता साहू पत्नी श्री अनिल साहू आयु वररुक निवासी- वाई नं. 07, जूना मोहरत्ता, मोहरखेड, मोहरखेडा, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) है। परन्तु मेरे आधार कार्ड में बुटिदख नाम नाम ममता साहू पत्नी अलिता साहू (MAMTA SAHU W/O ANIL SAHU) अंकित हो गया है जो कि गलत है। मेरा वास्तविक सही नाम वोटर आईडी कार्ड में दर्ज होने से प्रमाणित है। प्रकाशन उपरांत मेरा नाम अलिता साहू पत्नी श्री अनिल साहू (ANITA SAHU W/O ANIL SAHU) के नाम से जाना, पहचाना व पढ़ा जावे।

पुराना नाम-ममता साहू पत्नी अनिल साहू (MAMTA SAHU W/O ANIL SAHU)

नया नाम-अनिता साहू पत्नी श्री अनिल साहू (ANITA SAHU W/O ANIL SAHU)

आम सूचना/नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ललता बाई पत्नी श्री सुरेशराम आयु वररुक निवासी- म.नं. 187, पांडुखेडी, नर्मदापुरम, तहसील इटारसी, तहसील नर्मदापुरम (म.प्र.) है। परन्तु मेरे आधार कार्ड में बुटिदख मेरा नाम ललिता अमरवंशी द्वारा सुरेशराम (LALITA AMARWANSHI C/O SUKHRAM) अंकित हो गया है जो कि गलत है। मेरा वास्तविक सही नाम स्थानीय मूल निवासी प्रमाण पत्र में दर्ज होने से प्रमाणित है। प्रकाशन उपरांत मेरा नाम ललता बाई पत्नी सुरेशराम (LALTA BAI W/O SUKHRAM) के नाम से जाना, पहचाना व पढ़ा जावे।

पुराना नाम-ललिता अमरवंशी द्वारा सुरेशराम (LALITA AMARWANSHI C/O SUKHRAM)

नया नाम-ललता बाई पत्नी सुरेशराम (LALTA BAI W/O SUKHRAM)

न्यायालय नायब तहसीलदार नजूल वृत्त-2 गोविन्दपुरा, भोपाल

आम सूचना
प्रकरण क्रमांक 1611/अ-6/25-26
आवेदक नम्र- 1. शेख इस्फार इज़हार आ. श्री इज़हार शेख 2. श्रीमति सजम खान पत्नी श्री शेख इस्फार इज़हार निवासीगण पलेट नम्बर-10 प्रसाद रेसोिडी लेवटर-26 निजर बी.एन.एन.एन. एकरचेज आरुडी प्रधिकरण पुणे महाराष्ट्र हा निवासी अफ़जिज़ नैस रहता हरिद्वार युक्ति 2 रेल्वे स्टेशन सिविकरी सराई भोपाल म.प्र. द्वारा गाम- हिलीया काठियाग रिश्त भूमि खसरा क्रमांक 36, 215, 218, 142 के अंशभाग में से रकबा 116.20 वर्गमीटर भूमि का नामांतरण किये जाने हेतु, भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा 109, 110 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव पत्रद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना के जारी होने की दिनांक से 07 दिवस के भीतर में स्वयं अथवा अपने अभिभावक के माध्यम से मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। विचारित अर्थात् में आपत्ति प्रस्तुत ना करने की वधा में या बाद में की गयी आपत्ति पर न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया जावेगा। उद्घोषणा न्यायालय की मुद्रा में मेरे हस्ताक्षर द्वारा जारी किया गया है।

नायब तहसीलदार नजूल वृत्त-2 गोविन्दपुरा भोपाल

न्यायालय नायब तहसीलदार नजूल वृत्त-2 गोविन्दपुरा, भोपाल

आम सूचना
प्रकरण क्रमांक 1609/अ-6/25-26
आवेदिका- श्रीमति रुबी आरिफ पत्नी श्री मोहम्मद अरिफ सिद्दीकी निवासी- मकान नम्बर-ए-18 वर्धमान ग्रीन पार्क अशोक गार्डन भोपाल द्वारा गाम- हिलीया काठियाग रिश्त भूमि खसरा क्रमांक 36, 41 के अंशभाग में से रकबा 1243.20 वर्गफिट भूमि का नामांतरण किये जाने हेतु, भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा 109, 110 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव पत्रद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना के जारी होने की दिनांक से 07 दिवस के भीतर में स्वयं अथवा अपने अभिभावक के माध्यम से मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। विचारित अर्थात् में आपत्ति प्रस्तुत ना करने की दशा में या बाद में की गयी आपत्ति पर न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया जावेगा। उद्घोषणा न्यायालय की मुद्रा में मेरे हस्ताक्षर द्वारा जारी किया गया है।

नायब तहसीलदार नजूल वृत्त-2 गोविन्दपुरा भोपाल

न्यायालय तहसीलदार वृत्त-3 तहसील-हुजूर जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक 8392/अ-6/25-26
मौजा-फतेहपुर डोहरा तहसील हुजूर, भोपाल
उद्घोषणा पत्र
एतद्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री सीताराम शर्मा नम्र.06 गली नंबर 4 कोलीपुरा बरखेडी भोपाल मप्र. नं. द्वारा म.प्र.रा. संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विधायक पत्र दर्स्तावेज क्र.-2697/5 दिनांक 03/11/2014 आधार पर भूमि खसरा क्रमांक 54/11/11/1/1 कुल रकबा मे से 1000 वर्गफिट भूमि गाम फतेहपुर डोहरा प.ह.नं. 47 तहसील हुजूर जिला भोपाल का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2-उक्त संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभावक के माध्यम से प्रकरण में निरत पेशी दिनांक 10.04.2026 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 25.03.2026 को जारी किया गया।

तहसीलदार तहसील-हुजूर भोपाल

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि मेरे पुत्र का नाम अभय धोलपुरिया पुत्र मुकुेश धोलपुरिया (Abhay Dholpuriya S/O Mukesh Dholpuriya), निवासी- हाउस नंबर-1 गेट नंबर-1 निजर सैफिया कॉलेज कोहेणिका भोपाल म.प्र. है। परंतु मेरे पुत्र के आधार कार्ड में बुटिदख नाम विनय धोलपुरिया पुत्र मुकुेश धोलपुरिया (Vinay Dholpuriya S/O Mukesh Dholpuriya) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। मेरे पुत्र का वास्तविक एवं सही नाम उसके जन्म प्रमाण पत्र व शैक्षणिक अंकसूची के दर्स्तावेजों में भी दर्ज है तथा सही नाम की सभी शासकीय एवं असाक्षीय दर्स्तावेजों में भी दर्ज किया गया। प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का नाम अभय धोलपुरिया पुत्र मुकुेश धोलपुरिया (Abhay Dholpuriya S/O Mukesh Dholpuriya) के नाम से जाना, पहचाना व पढ़ा जावे।

पुराना नाम-विनय धोलपुरिया पुत्र मुकुेश धोलपुरिया (Vinay Dholpuriya S/O Mukesh Dholpuriya)

नया नाम-अभय धोलपुरिया पुत्र मुकुेश धोलपुरिया (Abhay Dholpuriya S/O Mukesh Dholpuriya)

आवेदक मुकुेश धोलपुरिया पुत्र किशनलाल धोलपुरिया, निवासी- हाउस नंबर-1 गेट नंबर-1 निजर सैफिया कॉलेज कोहेणिका भोपाल म.प्र.

प्रारूप- दस (नियम 7 देखिये)

न्यायालय तहसीलदार, नजूल संत हिरकराम नगर (बैरागढ)- वृत्त, भोपाल
(पुराना प्रिना पंचायत मदन, कोहेणिका जिला गोवाल)

रा.प्र.क्र. 2967/अ-6/2025-26

:: सार्वजनिक नोटिस ::

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अनुसूची में उल्लेख अनुसूची भू-अभिलेखों में नामांतरण की कार्यवाही इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। कोई भी हितबद्ध व्यक्ति दिनांक 07/04/26 को समग्र दोपहर 03.00 बजे स्थान न्यायालय तहसीलदार नजूल संतहिरदारम नगर बैरागढ वृत्त भोपाल के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता, जिते सत्यकर रूप से अनुरोध दिये गये हों, या वेध प्रतिनिधि के द्वारा उपस्थित होकर विचाराधीन नामांतरण के विषय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निरत विनांक के बाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। अनुसूची- 1. गाम का नाम-नेवरी, 2. खसरा नंबर- 6/1/1, 6/1/2, 6/2/1, 6/2/2, 6/1/3, 6/1/3, 7/1, 7/2, 6/8/2, 130/6/1/1, 130/6/1/2, 130/6/2, 3. क्षेत्रफल-116.13 वर्गमीटर, 4. उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनके पक्ष में नामांतरण/विचाराधीन है (आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम एवं पता) (1) नवीन कुमार डोलीवाल आ. श्री राम गोपाल डोलीवाल (2) श्रीमती रज्जु डोलीवाल पत्नी श्री नवीन कुमार डोलीवाल निवासीगण म.नं. 40 शीला टिक सिटी मुकुेशर अमरलता के बंगल में अयोध्या वाई पास रोड भोपाल मप्र

आज दिनांक 24/03/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के अधीन जारी किया गया।

तहसीलदार नजूल संत हिरकराम नगर, (बैरागढ)- वृत्त भोपाल

प्रारूप- दस (नियम 7 देखिये)

न्यायालय तहसीलदार, नजूल संत हिरकराम नगर (बैरागढ)- वृत्त, भोपाल
(पुराना प्रिना पंचायत मदन, कोहेणिका जिला गोवाल)

रा.प्र.क्र. 2974/अ-6/2025-26

:: सार्वजनिक नोटिस ::

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अनुसूची में उल्लेख अनुसूची भू-अभिलेखों में नामांतरण की कार्यवाही इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। कोई भी हितबद्ध व्यक्ति दिनांक 07/04/26 को समग्र दोपहर 03.00 बजे स्थान न्यायालय तहसीलदार नजूल संतहिरदारम नगर बैरागढ वृत्त भोपाल के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता, जिते सत्यकर रूप से अनुरोध दिये गये हों, या वेध प्रतिनिधि के द्वारा उपस्थित होकर विचाराधीन नामांतरण के विषय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निरत विनांक के बाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। अनुसूची- 1. गाम का नाम-नेवरी, 2. खसरा नंबर- 6/1/1, 6/2/1, 6/1/2/2, 6/2/3, 7/1, 7/2, 6/8/1, 130/6/1/1, 130/6/1/2 एवं 130/6/2, 3. क्षेत्रफल-127.10 वर्गफिट, 4. उस व्यक्ति/ व्यक्तियों का विवरण जिनके पक्ष में नामांतरण/विचाराधीन है (आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम एवं पता) (1) नवीन कुमार डोलीवाल आ. श्री राम गोपाल डोलीवाल (2) श्रीमती रज्जु डोलीवाल पत्नी श्री नवीन कुमार डोलीवाल निवासीगण म.नं. 40 शीला टिक सिटी मुकुेशर अमरलता के बंगल में अयोध्या वाई पास रोड भोपाल मप्र

आज दिनांक 24/03/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के अधीन जारी किया गया।

तहसीलदार नजूल संत हिरकराम नगर, (बैरागढ)- वृत्त भोपाल

आम सूचना/नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम सुरेश साहू, पिता छोटेलाल साहू, आयु वररुक निवासी-92, राधाकुंज, जहांगीरबाब, हुजूर, जहांगीरबाब, भोपाल (म.प्र.) है। परन्तु मेरे पुत्र के आधार कार्ड में बुटिदख नाम एस्लाऊअर आ. सिराज अहमद (ESLAUE S/O DIRAZ AHAMAD) अंकित हो गया है जो कि गलत है। मेरा वास्तविक सही नाम मेरे जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज होने से प्रमाणित है। प्रकाशन उपरांत मेरा नाम इस्लामहुल मंसूरी पिता श्री सिराज अहमद (ISLAHU MANSURI S/O SIRAJ AHMAD) के नाम से जाना, पहचाना व पढ़ा जावे।

पुराना नाम-लक्षय साहू पिता सुरेश साहू (LAKSH SAHU S/O SURESH SAHU)

नया नाम- लक्षय साहू पिता सुरेश साहू (LAKSHYA SAHU S/O SURESH SAHU)

नया नाम-इस्लामहुल मंसूरी पिता श्री सिराज अहमद (ISLAHU MANSURI S/O SIRAJ AHMAD)

आम सूचना/नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पंचवती देवी पटेल पत्नी स्व. श्री हनुमान प्रसाद पटेल आयु वररुक निवासी-190, तमरादेश, गुड लीनपूर रोड, गाम व पोस्ट तमरादेश तहसील गुड, तमरादेश 252, तमराेश, रीवा (म.प्र.) है। परन्तु मेरे आधार कार्ड में बुटिदख मेरा नाम पंची पटेल पत्नी हनुमान पटेल (PANCHI PATEL W/O HANUMAN PATEL) अंकित हो गया है जो कि गलत है। मेरा वास्तविक सही नाम स्थानीय मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं वोटर आईडी कार्ड में दर्ज होने से प्रमाणित है। प्रकाशन उपरांत मेरा नाम पंचवती देवी पटेल पत्नी हनुमान प्रसाद पटेल (PANCHVATI DEVI PATEL W/O HANUMAN PRASAD PATEL) के नाम से जाना, पहचाना व पढ़ा जावे।

पुराना नाम-पंची पटेल पत्नी हनुमान पटेल (PANCHI PATEL W/O HANUMAN PATEL)

नया नाम-पंची पटेल पत्नी हनुमान पटेल (PANCHVATI DEVI PATEL W/O HANUMAN PRASAD PATEL)

भयद्वीय रानी राजपूत पत्नी हरिसिंह निवासी- 154, बारहद्वारी नालकी झोपडी, राजगढ बिया, राजगढ, म.प्र.

प्रारूप- दस (नियम 7 देखिये)

न्यायालय तहसीलदार, नजूल संत हिरकराम नगर (बैरागढ)- वृत्त, भोपाल
(पुराना प्रिना पंचायत मदन, कोहेणिका जिला गोवाल)

रा.प्र.क्र. 0282/अ-3/2025-26

:: सार्वजनिक नोटिस ::

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अनुसूची में उल्लेख अनुसूची भू-अभिलेखों में नामांतरण की कार्यवाही इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। कोई भी हितबद्ध व्यक्ति दिनांक 25/08/26 को समग्र दोपहर 03.00 बजे स्थान न्यायालय तहसीलदार नजूल संतहिरदारम नगर बैरागढ वृत्त भोपाल के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता, जिते सत्यकर रूप से अनुरोध दिये गये हों, या वेध प्रतिनिधि के द्वारा उपस्थित होकर विचाराधीन नामांतरण के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निरत विनांक के बाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। अनुसूची- 1. गाम का नाम-सिंगारचौली, 2. खसरा नंबर- 26/1/1, 3. क्षेत्रफल-0.1260 है., 4. उस व्यक्ति/ व्यक्तियों का विवरण जिनके पक्ष में नामांतरण/विचाराधीन है (आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम एवं पता) श्री नारायण अग्रवाल/श्री जी डी अग्रवाल आज दिनांक 09/04/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के अधीन जारी किया गया।

तहसीलदार नजूल संत हिरदारम नगर, (बैरागढ)- वृत्त भोपाल

प्रारूप- दस (नियम 7 देखिये)

न्यायालय तहसीलदार, नजूल संत हिरकराम नगर (बैरागढ)- वृत्त, भोपाल
(पुराना प्रिना पंचायत मदन, कोहेणिका जिला गोवाल)

रा.प्र.क्र. 0283/अ-3/2025-26

:: सार्वजनिक नोटिस ::

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अनुसूची में उल्लेख अनुसूची भू-अभिलेखों में नामांतरण की कार्यवाही इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। कोई भी हितबद्ध व्यक्ति दिनांक 25/08/26 को समग्र दोपहर 03.00 बजे स्थान न्यायालय तहसीलदार नजूल संतहिरदारम नगर बैरागढ वृत्त भोपाल के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता, जिते सत्यकर रूप से अनुरोध दिये गये हों, या वेध प्रतिनिधि के द्वारा उपस्थित होकर विचाराधीन नामांतरण के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निरत विनांक के बाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। अनुसूची- 1. गाम का नाम-सिंगारचौली, 2. खसरा नंबर- 26/2/1, 3. क्षेत्रफल-0.0860 है., 4. उस व्यक्ति/ व्यक्तियों का विवरण जिनके पक्ष में नामांतरण/विचाराधीन है (आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम एवं पता) श्री नारायण अग्रवाल/श्री गोवर्धन अग्रवाल आज दिनांक 09/04/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के अधीन जारी किया गया।

तहसीलदार नजूल संत हिरदारम नगर, (बैरागढ)- वृत्त भोपाल

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं श्रीमती संतोषी पत्नी स्व.श्री करण सिंह, मेरी पुत्री के आधार कार्ड में बुटिदख तारवानी (TARAVATI) गलत नाम अंकित हो गया है। जबकि मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अशासकीय/दर्स्तावेजों में उरुका सही नाम आर्वी ठाकुर (ARVI THAKUR) दर्ज है, अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को सही नाम आर्वी ठाकुर (ARVI THAKUR) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय / दर्स्तावेजों में लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जावे।

प्राची श्रीमती संतोषी पत्नी स्व. श्री करण सिंह निवासी- 212, अम्बेकर नगर, नाली मॉडरेट के पास, अर. टी.टी.नगर भोपाल म.प्र. 462003

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अरुका पुत्री के शासकीय/अशासकीय दर्स्तावेजों में कुं.अलिता, अलीशा बारिक, माही सिंह बारिक पुत्री जौतू बारिक नाम अंकित किया गया है। जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम कुं. माही सिंह बारिक पुत्री जौतू बारिक है और इसी नाम से ही जानी व पहचानी व मानी जाती हैं अर्थात् में मेरी पुत्री को कुं. माही सिंह बारिक पुत्री जौतू बारिक निवासी एल. आई.जी.233 अरुका कानोली धनवन्ती नगर सिविल कम्प्लेक्ट के पास गढ़ा जलपुर म.प्र. के नाम से ही जाना एवं पहचाना एवं माना जावे व दर्स्तावेजों में दर्ज किया जावे।

माहीयती नीराम बारिक पत्नी जौतू बारिक निवासी एल.आई.जी. 233 अरुका कानोली धनवन्ती नगर सिविल कम्प्लेक्ट के पास गढ़ा जलपुर म.प्र.

पुराना नाम-निशा सिंह द्वारा धनंजय सिंह (NISHA SINGH C/O DHANANJAY SINGH)

नया नाम-लतीफुन निशा पत्नी धनंजय सिंह (LATEEFUN NISHA W/O DHANANJAY SINGH)

आम सूचना/नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम पूर्ण प्रजापति पुत्री श्री दीपक प्रजापति (POORVI PRAJAPATI) निवासी मण्डीदीप तहसील गौहरगंज जिला रायसेन म.प्र. है। परंतु मेरे आधार कार्ड में बुटिदख नाम पूरबा प्रजापति पुत्री दीपक प्रजापति (POORBA PRAJAPATI D/O DEEPAK PRAJAPATI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है मेरा वास्तविक सही नाम मेरे जन्म प्रमाण पत्र, जति प्रमाण पत्र, जति प्रमाण पत्र आई.डी एवं शैक्षणिक दर्स्तावेजों में भी दर्ज होने से प्रमाणित है।

अतएव पत्रद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो इस इस्तहार के जारी होने के दिनांक 07/04/2026 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभावक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 25/03/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

अति. तहसीलदार तहसील कोलार जिला-भोपाल

न्यायालय तहसीलदार बैरागढ चीचली वृत्त तहसील कोलार भोपाल म.प्र.

प्रकरण क्र.आरस्व/444/0760/2698/26

इस्तहार

आवेदक सुमति श्रीवास्तव पत्नी प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव निवासी रेलवे सोसाइटी भोपाल द्वारा गाम इमरिया जकरार रिश्त खसरा नंबर 104/2/1/1(एस्) व अन्य का अंश भाग क्षेत्रफल 0.6680 है, से से 0.0652 है, का विक्रयपत्र/फ़ौली/ वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतएव आवेदक के उपरोक्त आवेदन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो इस इस्तहार के जारी होने के दिनांक 07/04/2026 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभावक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 25/03/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

अति. तहसीलदार तहसील कोलार जिला-भोपाल

न्यायालय नायब तहसीलदार बैरागढ चीचली वृत्त तहसील कोलार भोपाल म.प्र.

प्रकरण क्र.आरस्व/444/0760/14003/25

1974/अ-6/25-26

इस्तहार

आवेदक अभिषेक कुमार जैन पिता रमेश चंद्र जैन निवासी नीवर स्वागत बंगलो गेहूखेडा द्वारा गाम पितृपिया केसो रिश्त खसरा नंबर 212 व अन्य का अंश भाग क्षेत्रफल 3000 वर्गफिट 270 वर्गमीटर का विक्रय पत्र/फ़ौली/ वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतएव आवेदक के उपरोक्त आवेदन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो इस इस्तहार के जारी होने के दिनांक 01/04/2026 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभावक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 18/03/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

अति. तहसीलदार तहसील कोलार जिला-भोपाल

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि मेरा नाम पूर्वी प्रजापति पुत्री श्री दीपक प्रजापति (POORVI PRAJAPATI) निवासी मण्डीदीप तहसील गौहरगंज जिला रायसेन म.प्र. है। परंतु मेरे आधार कार्ड में बुटिदख नाम पूरबा प्रजापति पुत्री दीपक प्रजापति (POORBA PRAJAPATI D/O DEEPAK PRAJAPATI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है मेरा वास्तविक सही नाम मेरे जन्म प्रमाण पत्र, जति प्रमाण पत्र, जति प्रमाण पत्र आई.डी एवं शैक्षणिक दर्स्तावेजों में भी दर्ज होने से प्रमाणित है।

अतएव पत्रद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो इस इस्तहार के जारी होने के दिनांक 07/04/2026 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने